राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
[लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रहरी]

शोधपत्र-लोकप्रशासन

* डॉ. ओम प्रकाश वर्मा

आज के युग में संगठनीय एवं संस्थागत व्यवस्था में प्रजातांत्रिक अधिकार एक शाश्वत सत्य है। चुनाव संसदीय व्यवस्था का प्राण है। चुनावों का स्वतंत्र एक निष्पक्ष होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण चुनावों का होना है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिये एक स्वायत एवं स्वतंत्र निकाय का होना आवश्यक है। भारत में संसद, विधान सभा मंडलो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाते है। आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 329 में व्यवस्था की गयी है। प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य देश के शासन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रजातांत्रिक विकेद्रीकरण की प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं नगर निगमों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जनता की स्थानीय एवं प्राथमिकता आवश्यकताओ की पूर्ति का माध्यम बनाया गया है।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधान सभा के सदस्यों एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का उत्तरदायित्व राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को दिया गया है। चुनावों का स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सामयिक चुनाव करवाने के लिये प्रत्येक राज्य के सचिवालय में एक निर्वाचन विभाग की स्थापना की गयी है। यह निर्वाचन विभाग संसद, विधान सभा/मण्डल राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सम्पन्न करवाता है तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राज्य सरकार के निर्देशन में करवाता था। राज्य निर्वाचन विभाग का मुखिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है तथा भारतीय प्रशासनिक का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। राज्य के निर्वाचन विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे।

1. संसद एवं राज्य विधान सभा मंडलो के सदस्यों एवं राष्ट्रपति के चुनावों में केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता करना तथा आयोग के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव सम्पन्न कराते हुये चुनावों की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। 2. केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा निर्मित एवं निर्देशित आचार संहिता को लागू करना। 3. राज्य की स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन का कार्य निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के साथ सम्पन्न करवाना। 4. मतदाता सूचियों का निर्माण एवं समय–समय पर उनका पुनरीक्षण करना। 5. चुनाव क्षेत्रों के पुर्नसीमांकन (जब भी अपेक्षित हो) में केन्द्रीय चुनाव आयोग या इस निमित गठित आयोग को सहायता करना तथा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। 6. निर्वाचन एवं चुनाव सुधार संबंधी किसी मुद्दे पर राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित किये जाने पर अपनी राय या मत व्यक्त करना।

73 वें –74 वें संविधान संशोधन से पूर्व स्थानीय संस्थाओ में निर्वाचन संबंधी स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति से 1993 तक स्थानीय संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा सम्पन्न कराये गये। राज्य निर्वाचन विभाग यह कार्यकाल असफल ही कहा जायेगा क्योंकि यह विभाग एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निकाय के स्थान पर सरकार की कठपूतली के रूप में कार्य करने लगा और ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि यह विभाग सीधा राज्य सरकार के इच्छा एवं निर्देशो पर ही कार्य करता है। जिसके लिये तत्कालीन शासनरत सरकारें जिम्मेदार है। समय–समय पर सरकारों ने स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित निकायों को भंग करके प्रशासक की नियुक्ति के माध्यम से इन संस्थाओं का सरकारीकरण कर दिया गया। ऐसा नही है कि यह दुष्प्रवृति राजस्थान में ही पाई गयी बल्कि देश के सभी राज्यों में कमीबेश यही स्थिति बन गयी थी। इसका सहज परिणाम यह हुआ कि ये संस्थाए सच्चे लोकतंत्र के प्रतिनिधि एवं वाहक बनने के स्थान पर सरकारी संस्थाएं बन कर रह गयी अपने मूल स्वरूप को

* सहा. आचार्य एवं उपनिदेशक स्थानीय शासन अध्ययन केन्द्र लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ही विकृत करने लगी। राजस्थान राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन विभाग की इस निष्फलता एवं दुष्प्रवृति को निम्न तथ्यों से आंका जा सकता है।

ग्रामीण संस्थाऐं–राजस्थान में बलवंतराय मेहता की सिफारिशों के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 1960 में, दूसरे 1965 में, तीसरे 1966 में, चौथे 1961 में, पांचवे 1988 में सम्पन्न हुऐ। इन संस्थाओं का कार्यकाल प्रारम्भ में 5 वर्ष तथा 1977 के बाद जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष किया गया। इस प्रकार दूसरे चुनाव के अलावा कोई भी चुनाव समय पर नहीं हुए। 1993 तक जहाँ कुल 11 चुनाव होने थे वहीं मात्र 5 चुनाव सम्पन्न हुऐ तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं में प्रशासको की नियुक्ति के माध्यम से इनका सरकारीकरण किया गया।

नगरीय संस्थाऐं–ग्रामीण संस्थाओं की भांति नगरीय स्थानीय संस्थाओं के चुनाव भी अनियमित रहे। प्रतिदर्ष के रूप में जयपुर नगर परिषद (वर्तमान में नगर निगम) के निर्वाचित निकाय एवं प्रशासक के शासन का विवरण प्रस्तुत है – जयपुर नगर परिषद (वर्तमान में नगर निगम) में प्रशासक एवं निर्वाचित निकाय के शासन का कार्यकाल

क्र.सं.	कार्यकाल	निर्वाचित निकाय/प्रशासक	कुल कार्यकाल
1	22.3.1950 से 3.9.1953	निर्वाचित निकाय	3 1/2वर्ष
2	4.9.1953 से 7.8.1956	प्रशासक	3 वर्ष
3	8.8.1956 से 16.7.1958	निर्वाचित निकाय	2 वर्ष
4	17.7.1958 से 30.9.1961	प्रशासक	3 वर्ष
5	1.10.1961 से 5.1.1963	निर्वाचित निकाय	1 1/4 वर्ष
6	6.1.1963 से 23.1.1964	प्रशासक	1 वर्ष
7	24.1.1964 से 23.1.1967	निर्वाचित निकाय	3 वर्ष
8	24.1.1967 से 11.11.1970	प्रशासक	3 3/4 वर्ष
9	12.11.1970 से 11.12.1973	निर्वाचित निकाय	3 वर्ष
10	12.12.1973 से 27.11.1994	प्रशासक	20 वर्ष

''सूचना स्त्रोत दैनिक पत्र राजस्थान का दिनांक 19. 11.1995 का अंक पृष्ठ 3'' में प्रकाशित जयपुर नगर पालिका का (नगर निगम सहित सवा सौ साल का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित लेख के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जयपुर नगर परिषद् (वर्तमान में नगर निगम) के कुल 44 वर्षो के कार्यकाल में लगभग 32 वर्ष तक प्रशासक रहे, जो राज्य के निर्वाचन विभाग की असफलता एवं तत्समय सत्ता में रहे राजनैतिक दलों की मलीन एवं दूषित इच्छा शक्ति तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं की इस विषम स्थिति को भाप कर केन्द्रीय सरकार ने 73 वें–74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन संस्थाओं के सामयिक चुनाव, निश्चित आरक्षण आदि की व्यवस्थाऐं कर राज्य सरकार को इसे अनिर्वाय रूप से लागू करने की व्यवस्था की गयी।

राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों?

केन्द्र सरकार द्वारा 73 वें –74 वें संविधान के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अनेक प्रावधान किये गये जिसमें नियमित चुनाव कुछ वर्गो को आरक्षण, कार्यकाल की सुनिश्चित इत्यादि प्रमुख है। इसके चुनाव संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है–1. प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की जावें। 2. देश की समस्त स्थानीय शासन की संस्थाओं के निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जावे। 3. इन संस्थाओं के निर्वाचित निकाय के कार्यकाल समाप्त होने या किसी कारणवंश निर्वाचित निकाय के भंग किय जाने या विघटन होने पर विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 4. इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि के पदत्याग अथवा हटाये जाने अथवा मृत्यु हो जाने से 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि निकाय का कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो सभी संस्थाओं के साथ चुनाव करवा लिये तथा ऐसे चुनाव निकाय की शेष अवधि के लिये होंगे। 1. चुनावों में विशेषकर स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में बढती जटीलता एवं हिंसा के कारण अधिक तत्परता से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है अतः केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की अपेक्षा राज्य निर्वाचन आयोग अधिक तत्परता से निर्णय ले सकेंगे। 2. चुनाव में सत्ताधारी राजनैतिक दलों के राज्य संसाधनों का दल हित में उपयोग करने की आशंका बराबर बनी रहती है अतः दुष्प्रवृति पर प्रभावी नियंत्रण के लिये एक स्वायत्तशाषी निर्वाचन आयोग का होना अपेक्षित है। 3. ग्रामीण एवं शहरी

स्थानीय शासन के लगभग सवालाख पदाधिकरियों के स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन एवं प्रभावी नियंत्रण के लिये निर्वाचन आयोग का होना आवश्यक है।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते–राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहन करने की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु जो भी दोनों में पहले हो के लिये की जाती है। चुनाव आयुक्त के लिये कम से कम एक वर्ष का अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष पद का कार्यानुभव अनिर्वाय है। नियुक्ति के समय यदि वह कहीं कार्यरत है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसे सेवा निवृत माना जायेगा। राज्य चुनाव आयुक्त मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन श्रृखंला (वर्तमान में 80,000/– रू. मूल वेतन) तथा महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, अवकाश, सरकारी वाहन आदि नियमानुसार देय है। आयुक्त का अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकार किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग का संगठन–राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय राज्य सचिवालय में स्थित राजस्थान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहली मंजिल पर स्थित है। इस आयोग के कार्यालय का सगंठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार है : राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयुक्त के अधीन एक सचिव एवं एक उपसचिव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं कार्यरत है। आयोग के वित्त संबंधी मामलों को देखने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा कानूनी मामलों में सलाह के लिये उच्च विधि परामर्शी कार्यरत है जो क्रमशः लेखा सेवा एवं विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते है। इनकी सहायता के लिये पर्याप्त मात्रा में मंत्रालयिक कर्मचारी कार्यरत है जो आयोग को सचिविय सहायता उपलब्ध कराते है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य–वैसे तो राज्य चुनाव आयोग का एक मात्र कार्य राज्य में स्थित समस्त स्थानीय संस्थाओं के चुनाव एवं स्वतंत्रता के साथ सम्पन्न करवाना है। इसके अतिरिक्त आयोग के निम्न कार्य भी है

1.स्थानीय संस्थाओं के मतदान के दौरान धटित होने वाली गडबडी के साक्ष्यपरक एवं तथ्यपरक सबूत पाये जाने पर पुर्नमतदान के आदेश देना। 2. स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन के लिये आचारसंहिता का निर्माण एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन। 3. स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रायः संसदीय एवं विधान मंडलो के निर्वाचन के लिये प्रयुक्त मतदाता सूचियों के आधार पर ही करवाये जाते हैं परन्तु यदि राज्य निर्वाचन आयोग उचित समझता है तो उनका पुनर्रीक्षण करवा सकता है। 4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिये आवश्यक पदाधिकारियों की नियुक्त करना। 5. स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधानो को लागू करने संबंधी दिशा निर्देश देना।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यो की समीक्षा–ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के चुनाव जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के बाद जनवरी–फरवरी 1995 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रथम करवाये गये इन चुनावों में 31 जिला परिषदें 237 पंचायत समितियों तथा 9183 ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाये इनमें पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के 5257 सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के 103712 पंच सरपंच निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त अगस्त 1995, सितम्बर 1996 अक्टूबर 1997 अगस्त 1998 तथा माच्र 1999 में इस दौरान हुऐ रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाये गये। जनवरी–फरवरी 2000 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के उपरान्त 32 जिला परिषदों, 237 पंचायत समितियों तथा 9189 ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के मतदान करवाये गये निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या 1,14,500 थी तथा मतदाता संख्या 2 करोड़ 16 लाख 42 हजार 7 सौ थी तथा कुल मतदान केन्द्र 27316 थे। इसके अतिरिक्त अगस्त 2000 में उपचुनाव भी करवाये गये। वर्ष 2005 में पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव करवाये गये। जिसमें 32 जिला परिषद, 357 पचांयत समिति तथा 9188 ग्राम पंचायतो के 2,81,80039 मतदाताओ ने अपने प्रतिनिधि ायो को निर्वाचित किया।

नगरीय स्थानीय संस्थाए–राज्य चुनाव आयोग ने 1994 में 44 नगरपालिका /परिषदों/निगमों के 1425 वार्डो के लिए चुनाव सम्पन्न करवाये इनके अध्यक्ष–उपाध्यक्ष सभापति–उपसभापति, मेयर –उपमेयर का चुनाव भी अप्रत्यक्ष मतदान सम्पन्न करवाये गये। इसी प्रकार अगस्त 1995 में 129 नगरपालिकाओं के 9794 वार्डो के लिये मतदान करवाया गया तथा दिसम्बर 1995 में भरतपुर जिले की 8 नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न करवाये, मार्च 1996 में झुंझुनू की विद्याविहार नगरपालिका के चुनाव समपन्न करवाये। नगरीय स्थानीय संस्थाओ के 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के उपरान्त 1999 में 45 नगरपालिका/परिषद/निगमों के 1450 वार्डो के लिये चुनाव सम्पन्न करवाया गया। इन चुनावों में पहली बाद इलैक्टोनिक बोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार 126 नगरपालिका का अगस्त 2000 में इलैक्टोनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से चुनाव करवाया गया। दिसम्बर

2000 में भरतपुर जिले की 8 नगरपालिकाओं में मतदान करवाया गया। नगरीय संस्थाओं के चुनाव वर्ष 2005–2006 में इस संस्थाओं को कार्यकाल पुरा होने के उपरान्त करवाये गये है जिसमें मतदान केन्द्रो की संख्या 4335 थी। कुल मतदाता 3519605 थे, इसके अतिरिक्त आयोग समय –समय पर रिक्त हुये स्थानों पर उप चुनाव भी करवाता रहा है। वर्तमान में आयोग वर्ष 2009 के अन्त एवं 2010 में होने वाले स्थानीय संस्थाओं के चुनावो की तैयारी कर रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

1. विगत कुछ वर्षो से स्थानीय शासन के चुनावों में व्यापक हिंसा होने लगी है अतः यह एक चिन्तनीय स्थिति है। 2. स्थानीय संस्थाओं के चुनावों सहित सभी चुनावों में जाति, धर्म, सम्प्रदाय का खुलकर प्रयोग होने लगा है जिससे चुनाव तो समाप्त हो जाते हैं परन्तु पूरे वार्ड/क्षेत्र का सोहार्द बिगड़ जाता है। वर्ष 2009 में सम्पन्न लोक सभा चुनावों में भाषणों में व्यक्तिगत आक्षेप सहित लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन देखने को मिला हैं यह प्रकृति लोकतांत्रिक व्यवस्था को पतन की ओर ले जाने वाली है।

राज्य निर्वाचन आयोग को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव–1. राज्य के पहले से स्थित राज्य निर्वाचन विभाग को विघटित कर राज्य निर्वाचन आयोग में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये ताकि कार्यो के दोहराव को रोका जा सके और चुनाव कार्यो के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों में स्पष्टता हो। संसदीय, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति विधान सभा एवं मंडलों के चुनाव के समय केन्द्रीय चुनाव आयोग की सहयोगी संस्था के रूप में तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में स्वायत्तशासी संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर सके। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिये एक चयन समिति जिसमें राज्यपाल राज्य सरकार एवं केन्द्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि की एक समिति के द्वारा तीन नामों का एक पैनल तैयार किया जावें जिसमें से किसी एक को राज्यपाल द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जावें। 3. आयुक्त को निष्पक्ष बनाने के लिए सेवानिवृति के बाद किसी भी राजकीय पद के आयोग्य माना जाना चाहिये। 4. अभी तक नियुक्त तीनों ही आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, इस पद के लिये न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी परखा जाना चाहिये। 5. नगर निगमो, नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के पदाधिकारियों मेयर, प्रधान, प्रमुखों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाना चाहिये जैसा कि ग्राम पंचायत में सरपंच का होता है ताकि किसी भी दल को बहुमत ना मिलपाने के स्थिति में प्रतिनिधि की संभावित खरीद फरोक्त को रोका जा सके। 6. चुनाव आचार संहिता में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिये कि एक निश्चित संख्या (जो 5से 10 कोई भी हो सकती है) मुकदमें दर्ज होने पर चुनाव के अयोग्य घोषित होना चाहिये भले ही फैसला न हुआ हो। जिसके फलस्वरूप धीरे–धीरे राजनीति ने अपराधियों के प्रवेश को रोका जा सकेगा। 7. राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्रदान किये जाने चाहिये जैसे चुनाव प्राचार के दौरान जाति, धर्म सम्प्रदाय का उपयोग करते पाये जाने पर 6 माह की सजा या 5000 रू. या दोनों एक साथ तक का दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि सम्प्रदायिक सौहार्द को बनाया रखा जा सके। 8. निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत बनाने के लिये सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थान पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाना चाहिये। चूंकि सचिव के बार–बार स्थानान्तरण से आयोग की स्वायत्ता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। दूसरे राज्य वित्त आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में भी आयोगों की समितियों में बार–बार परिवर्तन को देखते हुये पूर्णकालिन सचिव की शक्ति का सुझाव दिया है सचिव अयोग पूर्णकाल के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये। 9. न सिर्फ स्थानीय राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में बने रहने के लिये राज नेता बार–बार दल बदलते रहते है जो राज नेताओं के नैतिक पतन का द्योतक है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. बी.एल. फडिया : प्रशासनिक संस्थाऐं, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2000 प .173 2. डॉ. अशोक शर्मा : भारत के स्थानीय प्रशासन, बार.बी.एस. पब्लिसर्स, जयपुर 2000 पृ. 21 3. राज्य निर्वाचन विभाग से प्राप्त सूचना 4. इतवारी पत्रिका, दिनांक 27.8.1995, मुख्य प . पर प्रकाशित लेख ''जनतंत्र में जन भागीदारी का सपना'' 5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित उपलब्धियॉ, अगस्त 2001 6. निर्वाचन आयोग के कार्मिको से अनौपचारिक साक्षात्कार 7. दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 19.11.1995 के प . तीन पर प्रकाशित ''जयपुर नगर पालिका का सवा सौ साल का इतिहास'' विश्लेषणात्मक लेख 8. राज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन 'पचांयत जनरल इलेक्शन 2005 वोल्युम 1,2,3 10. राज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन म्यूनिसिपल जनरल इलेक्शन 2004 –05 म्यूनिसिपल संजिवनी पब्लिकेशन राजस्थान सरकार 11. द्वितीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन 2000–05 के लिये राजस्थान सरकार